

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2
Mail ID-rwdeedbg2@gmail.com

पत्रांक 737./

दिनांक 26/04/2024

प्रेषक,

ई0 अवधेश कुमार
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

सेवा में,

Vineeta Choudhary,
W/O-Anjan Kumar Choudhary,
VIII+P.O+P.S.Nehra,
Dist-Darbhanga Pin-847233
Mob No-9430956328

विषय:-

शीर्ष MIMGSY योजना अन्तर्गत Bichala Tola Jagdishpur to Muslim Tola Jagdishpur तक पथ निर्माण
कार्य में पंचवर्षीय अनुसंधान कार्य के संबंध में।

प्रसंग:-

एकरारनामा संख्या- 42/SBD/2018-19 दिनांक-25.01.2019

महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रारंभिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित पथ का एकरारनामा आपके द्वारा एकरारनामा संख्या-42 SBD/2018-19 दिनांक- 25.01.2019 को विधिवत किया गया एवं पथ का मूल कार्य दिनांक-30.06.2019 को पूर्ण किया गया है। आप अच्छी तरह अवगत है कि पूर्ण किये गये पथ का पौंच वर्षीय अनुसंधान कार्य कारना एकरारनामा का भाग है। अनुसंधान कार्य करने हेतु बार-बार मौखिक रूप से एवं मोबाईल द्वारा भी निर्देशित किया जाता रहा है, परन्तु अद्यतन आपके द्वारा अनुसंधान कार्य नहीं किया गया है, जो कि एकरारनामा की शर्तों के विरुद्ध आचरण है। ज्ञातव्य हो कि उक्त पथ का अनुसंधान की जाँच कनीय अभियंता, मनीगाछी द्वारा भी BRRMS App से दिनांक-18.10.2023 को किया गया, जिसमें U ग्रेडिंग प्रदान की गई। इसके बाद सहायक अभियंता, मनीगाछी द्वारा भी BRRMS App से दिनांक-17.12.2023 को किया गया, जिसमें U ग्रेडिंग प्रदान की गई। जिसकी सूचना BRRMS App के द्वारा आपके रजिस्टर्ड मोबाईल नं0 एवं रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी0 पर दिया गया है। फिर भी आपके द्वारा उक्त पथ में कोई सुधार नहीं किया गया है। तदुपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी दिनांक-25.04.2024 को BRRMS App से Rectification Module में अंकित होने के कारण निरीक्षण किया गया जिसमें U ग्रेडिंग प्रदान की गई। उक्त पथ में कोई भी Rectification का कार्य नहीं किया गया जिसके कारण त्रुटियों निम्न प्रकार से है

:-

(1) पथ के Riding Surface में चैनेज-325मी0 से 765 मी0 तथा अन्य कई जगहों में BT Surface उखड़ गया है।

(2) पथ के फ्लैक में चैनेज-325मी0 से 765मी0 तथा अन्य जगहों पर जंगल-झाड़ी की सफाई नहीं होना।

(3) पथ में 200m (हेक्टोमीटर पिलर एवं किलोमीटर पिलर का समुचित संख्या में नहीं रहना एवं पेंट नहीं होना।

(4) रोड सैनेज समुचित संख्या में नहीं रहना।

अतः आपको शख्त निर्देश दिया जाता है कि उक्त पथ में वर्णित त्रुटियों को यथाशीघ्र एक सप्ताह के अन्दर सुधार करते हुए अनुसंधान कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे, एवं अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करेंगे। अन्यथा SBD के Clause of Contract की कंडिका-3 अन्तर्गत उप कंडिका-(iv) के तहत एकरारनामा को विखंडित करते हुए कालीकृत करने हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा कर दी जायेगी साथ ही आपके विरुद्ध और भी दंडात्मक कार्रवाई अलग से की जायेगी। जिसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।

विश्वासभाज

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

ज्ञापक 737./ दिनांक 26/04/2024

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा/ नोडल पदाधिकारी BRRMS ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2